

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1331/2013/नागौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-नागौर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स माहेश्वरी बिल्डर, डेगाना-नागौर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

श्री ओ. पी. दोसाया

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/02/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 113/11-12/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.02.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-नागौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये वैट अधिनियम की धारा 23 व 24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में रूपये 5,94,297/- की रिबेट व डिस्काउण्ट प्राप्त होना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 23, 24 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2012 में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर स्वीकृत आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए रिवर्स कर रूपये 83,202/- एवं ब्याज रूपये 8,575/- का आरोपण किया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर उक्त कर व ब्याज को अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि व्यवहारी द्वारा

लगातार.....2


14/02/18

क्रय किये गये माल पर विक्रेता से रिबेट व डिस्काउण्ट प्राप्त किया गया है और उक्त रिबेट व डिस्काउण्ट की राशि का खरीद/स्टॉक कम कर लिया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स को रिवर्स करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किये जाने से स्वीकार किये जाने का योग्य है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता से रिबेट/डिस्काउण्ट प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। इस संबंध में वेट अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' की परिभाषा को उल्लेखित किया जाना न्यायोचित है जो निम्न प्रकार है :-

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;


7. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्चायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय (2013) 35 Tax Update Page 29 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त ए, अलवर बनाम मै. आर.एस. टायर हाऊस अलवर में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने माल का प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्काउण्ट प्राप्त किया है, जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण II के प्रावधान लागू किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने घोषित विक्रय कीमत में से विक्रय के पश्चात किसी प्रकार का कोई डिस्काउण्ट/रिवेट/कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त

लगातार.....3

Am. S. S.
14/02/18

किया गया है, न कि विक्रय मूल्य पर। माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बी उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रॉनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम-1 पार्ट-1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत-ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। व्यवहारी द्वारा सब्सिडी/डिस्काउण्ट पर कर का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें से कम कीमत पर की गयी विक्रय मूल्य पर ही आगत कर का समायोजन चाहा गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानते हुए आगत कर का समायोजन को स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी के अलौच्य निर्णय दिनांक 20.02.2013 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.02.2013 की पुष्टि की जाती है तथा अपीलीर्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य